कार्यालय पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर

क्रमांकः- 1356 दिनांकः- 19/02/2021

श्रीमान् अति. महानिदेशक पुलिस
(अपराध शाखा) राजस्थान जयपुर।

विषयः- सीएम हेल्पलाईन 181 परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार के परिवाद के संबंध में।
प्रसंगः- सीएम हेल्पलाईन संख्या 02210679452038 दिनांक 11.02.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगीय पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि सी. एम. हैल्पलाईन 181 परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा प्रेषित परिवाद की जांच सहायक पुलिस आयुक्त यातायात (पश्चिम) जयपुर से करवाई गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट परिवाद में अंकित दिनांक 09.02.2021 को दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक "ट्रैफिक रूल्स का पालन कराने वाले खुद ही तोड रहे नियम" के संबंध में संलग्न फोटो में मोटर साईकिल न. आरजे14-सीएस-8356 पर दो पुलिसकर्मी सवार है जिसमें पीछे वाले पुलिसकर्मी ने हेलमेट नहीं लगा रखा है। परिवाद के संबंध में मोटर साईकिल मालिक को मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 133 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है। जवाब प्राप्त होने पर उक्त वाहन चालक के विरूद्ध नियमानुसार एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही की जावेगी।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय

सहायक पुलिस आयुक्त (प्रोटोकॉल)
नोडल अधिकारी यातायात जयपुर